

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा (धौलपुर)

क्रमांक/कोर्ट/23/1128

दिनांक - 12/11/23

तहसीलदार

राजाखेडा

विषय :- व मु0 उनवानी प्रकरण राजवीर बनाम योगेन्द्र में स्थगन आदेश को हटाने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि व मु0 उनवानी प्रकरण राजवीर बनाम योगेन्द्र में इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2020/452 दिनांक 07.9.2020 एवं पत्रांक/कोर्ट/2020/522 दिनांक 17.09.2020 के द्वारा विवादित आराजी ख0 नं0 5891 स्थित ग्राम सिकन्दरपुर एवं आराजी ख0 नं0 5, 50, 436, 437, 532 स्थित ग्राम समौना तहसील राजाखेडा पर स्थगन जारी किया गया था। इस न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट लोक अदालत की भावना से सायल के प्रार्थना-पत्र पर खारिज किया जा चुका है। अतः आप इस न्यायालय के द्वारा जारी स्थगन आदेश को निरस्त फरवावें।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा (धौलपुर)

